राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत निगरानी संख्या – 85/2015/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक प्रथम, जयपुर। .....प्रार्थी

बनाम

1. उमराव चन्द डागा पुत्र श्री अमोलक चन्द डागा जाति ओसवाल (मृतक) के विधिक वारिसान

1.1 श्री प्रसन्न चन्द डागा पुत्र श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.2 श्री किशन चन्द डागा पुत्र श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.3 श्रीमती विमला गोलेच्छा पुत्री श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.4 श्रीमती पुष्पा चौपडा पुत्री श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.5 श्रीमती चन्दा वैध श्री स्व. उपराम चन्द डागा

1.6 श्रीमती निर्मल बोथरा पुत्री श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.7 श्रीमती सरोज कोकरिया पुत्री श्री स्व. उमराव चन्द डागा

1.8 श्रीमती ऊषा संचेती पुत्री श्री स्व. उमराव चन्द डागा

समस्त निवासीगण–नीलम गिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे
नियम वैद्य हाऊस, अजमेर।

2. राजेन्द्र कुमार डागा पुत्र प्रसन्न चन्द डागा जाति ओसवाल
नीलम गिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे
नियम वैद्य हाऊस, अजमेर।

3. श्री प्रसन्न चन्द डागा पुत्र श्री स्व. उमराव चन्द डागा
समस्त निवासीगण–नीलम गिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे
नियम वैद्य हाऊस, अजमेर। .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री नरेश कुमार जैन
अभिभाषक ..... प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक ..... अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/02/2017

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र धारा 152, 153 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रार्थीगण श्री प्रसन्नचंद डागा, किशनचंद डागा पुत्रगण उमरावचंद डागा राजेन्द्र कुमार डागा पुत्र प्रसन्नचंद डागा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह प्रार्थना पत्र

लगातार.....2

माननीय राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी सं. 1277/2009/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 06.08.15 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। निर्णय दिनांक 06.08.15 द्वारा राज्य पक्ष की निगरानी स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था।

2. प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की और से कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वांछित संशोधन रिकार्ड पर दृष्टिगोचर त्रुटियों के संबंध में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन किया जावें।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

5. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

6. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षीगण जयपुर के निवासी है उनके पते में जिले का नाम अजमेर गलत अंकित हो गया है। सभी अप्रार्थीगण के आगे निवासी वैद्य हाउस, अजमेर के स्थान पर वैद्य हाउस, अजमेर रोड, जयपुर अंकित होना चाहिए था जो अंकित होने से रह गया है। इसी प्रकार निर्णय के पैरा नम्बर 1 में निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 के स्थान पर 13.04.09 गलत अंकित हो गया है। दिनांक 13.04.09 के स्थान पर दिनांक 04.06.09 अंकित होना चाहिए था। निर्णय के पृष्ठ सं. 4 पर अंतिम से 7वीं लाईन में तारीख दिनांक 01.07.10 गलत अंकित हुई है जबकि निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 की है। दिनांक 01.07.10 किस आधार पर लिखी गयी है। यह निर्णय में कहीं स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार पृष्ठ सं. 6 पर निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.10 गलत अंकित हो गयी है जबकि निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 की है जो दुरूस्त की जानी है। उपरोक्त सभी प्रकार की त्रुटियों टाईपिंग क्लेरिकल ऐरर है जिसे किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है। इस संशोधन से निर्णय की मूल भावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और न्यायालय किसी भी समय ऐसी त्रुटि को दुरूस्त करने में सक्षम है। जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

२५

लगातार.....3

7. प्रार्थीगण द्वारा वांछित संशोधन लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी है जिन्हें संशोधित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

8. वांछित प्रथम संशोधन यह है कि विपक्षीगण जयपुर के निवासी है उनके पते में जिले का नाम अजमेर गलत अंकित हो गया है। सभी अप्रार्थीगण के आगे निवासी वैद्य हाउस, अजमेर के स्थान पर वैद्य हाउस, अजमेर रोड, जयपुर अंकित होना चाहिए था जो अंकित होने से रह गया है।

निगरानी सं. 1277/2009/जयपुर के संशोधित शीर्षक दिनांक 24.06.15 में अप्रार्थीगण का पता नीलमगिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे, वैद्य हाउस, अजमेर रोड जयपुर है परन्तु निर्णय दिनांक 06.08.15 में शीर्षक में अप्रार्थीगण का पता नीलमगिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे, वैद्य हाउस, अजमेर अंकित है जो स्पष्टतया लिपिकीय त्रुटि होने के कारण संशोधन योग्य है। अतः अप्रार्थीगण का पता नीलमगिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे, वैद्य हाउस, **अजमेर** के स्थान पर नीलमगिरी गार्डन, बलदेव प्लाजा के पीछे, वैद्य हाउस, **अजमेर रोड जयपुर** किया जाता है।

9. वांछित द्वितीय संशोधन यह है कि निर्णय के पैरा नम्बर 1 में निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 के स्थान पर 13.04.09 गलत अंकित हो गया है। दिनांक 13.04.09 के स्थान पर दिनांक 04.06.09 अंकित होना चाहिए था।

निगरानी के प्रथम पृष्ठ पर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 13.04.2009 अंकित है व निगरानी के अंतिम पैरा में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 04.06.2009 अंकित हैं। निगरानी के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार निर्णय दिनांक 04.06.2009 है। इस प्रकार निगरानीधीन निर्णय की सही तिथि 04.06.2009 है। **अतः निर्णय के पैरा नम्बर 1 में निर्णय जैर निगरानी दिनांक 13.04.09 के स्थान पर 04.06.09 किया जाता है।**

10. वांछित तृतीय संशोधन यह है कि निर्णय के पृष्ठ सं. 4 पर अंतिम से 7वीं लाईन में तारीख दिनांक 01.07.10 गलत अंकित हुई है जबकि निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 की है। दिनांक 01.07.10 किस आधार पर लिखी गयी है। यह निर्णय में कहीं स्पष्ट नहीं होता है।

लगातार.....4

निर्णय के इस पैरा में इकरारनामा पंजीकृत किये जाने का निवेदन करने की तिथि 01.07.10 अंकित की है जबकि पृष्ठ सं. 5 के अंतिम पैरा में यह तिथि 10.12.07 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार दस्तावेज दिनांक 10.12.07 को उपपंजीयक सांगानेर प्रथम में समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ है। निर्णय में दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने की तिथि को प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर सम्पत्ति की मालियत का आंकलन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। इस प्रकार दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की तिथि 10.12.07 है। अतः **निर्णय के पृष्ठ सं. 4 पर अंतिम से 7वीं लाईन में तारीख दिनांक 01.07.10 के स्थान पर 10.12.07 करने का संशोधन किया जाता है।**

11. वांछित चतुर्थ संशोधन यह है कि पृष्ठ सं. 6 पर निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.10 गलत अंकित हो गयी है जबकि निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.09 की है जो दुरूस्त की जानी है।

उपरोक्त दुरूस्ती के संबंध में जैसा कि पैरा सं. 9 में विवेचना की गई है कि निगरानीधीन निर्णय दिनांक 04.06.09 है जिससे यह संशोधन भी किया जाना उचित है। **अतः पृष्ठ सं. 6 पर निर्णय जैर निगरानी दिनांक 04.06.10 के स्थान पर 04.06.09 का संशोधन किया जाता है।**

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। प्रतिलिपि समस्त संबंधित को जारी हो।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य